रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 113] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 1971/आषाढ 10, 1893

No. 113] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 1971/ASADHA 10, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st July 1971

G.S.R. 988.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (e) of sub-section (1) of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rule (3) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby appoints Dr. V. M. Dandakar as a director in the Board of Directors of the Food Corporation of India, established under the said Act, in place of Professor M. L. Dantwala, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely:—

In the said notification, for entry (6), the following entry shall be substituted, namely:

"(6) Dr. V. M. Dandekar, Gokhale Institute of Politics and Economics, Poona 4."

[No. F. 4-3/70-FCC]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना..

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1971

सा० का० नि० ——988खाद्य निम अधिनियम 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड ङक साथ पठित उपधारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 3 के उप-नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत के खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में प्रोफेसर एम० एल० दांतवाला के स्थान पर डा० बी० एम० डांडेकर को निदेशक के रुप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 37, तारीख 2 जनवरी, 1965 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"(6) डा० बी० एम० डांडेकर, गोखले इंस्टीट्यूट आफ पोलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, पूना 4"

[सं० फा० 4/3/70-एफ०सा०सा०]

G.S.R. 989.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (e) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rules (3) and (4) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby reappoints Shri S. R. Kaiwar and Shri Radha Raman to be directors in the Board of Directors of the Food Corporation of India.

[No. F. 4-3/70-FCC]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

सा० का० नि०——989 खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के साथ पठित द्वारा उपधारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, श्री एम० आर० केवर और श्री राधा रमण को भारत के खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में, निदेशक नियुक्त करती है :

[सं०एफ० 4-3/70-एफ०सी०सी०]

आर० बालासुब्रमण्यन

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971